

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक/मान्यता/ शि०सं०/ ५५६१-८ / 2023-24 दिनांक १०/१/२०२३

प्रबन्धक,

परमहंस पब्लिक स्कूल,

एम०ब्लाक सैक्टर-२३ संजयनगर गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक २१-०८-२०२३ द्वारा विद्यालय की मान्यता को स्थायी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा ०८ तक माध्यम अंग्रेजी की मान्यता अस्थायी रूप से इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता-शि० सं०/१७२०५-२०७/२०१८-१९ दिनांक ३१-०३-२०१९ द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक १९-०९-२०२३ के आधार पर शासनादेश संख्या- ८९/ अरसठ-३-२०१८-२०४१ दिनांक ११-०५-२०१९ एवं शासनादेश संख्या-१९६ /अडसठ- ३-२०२० -२०४१ /२०१८ दिनांक २९ जून २०२० द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ओमप्रकाश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ० सं०/शि०सं०/

/ 2023-24 तददिनांक

प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।